कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,हाथरस वन प्रभाग हाथरस।

Mandu Road Sokhna near R.T.O Office, Hathras- E-mail- dfohathras@gmail.com

पत्रांक/383 / 14–1, दिनांकः हाथरस, अक्टूबर, 11 ,2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषयः– **Proposed forest land (Protected Forest) diversion for 765 kV double circuit transmission line Orai Aligarh transmission line involving 1.0082 ha. in Hathras District with felling of 11 trees and 0.6595 ha. in Aligarh District with felling of 46 trees & 280 poles, total 1.6677 ha. of trees with felling of 57 trees and 280 poles-reg.**

संदर्भ– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्र सं0 8B/UP/04/22/2018/FC/198 dated 23.03.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्र सं0 2845 / उरई–अलीगढ़ लाईन(1.667) / 31506 / 2016 दिनांक 05.04.2018, आपका पत्रांक 3509 / 14–1 दिनांक 19.04.2018, 4396 / 14–1 दिनांक 25.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयीं आपत्तियों का निराकरण सहमति / संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित है।

Sl.No.	Observation	Reply
1.(a)	Kml files of alternated routes are not provided.	Alternate routes के .kml files संलग्न है। (संलग्नक–1)
1.(b)	The SOI toposheet of proposed land to be diverted as well as CA land has not been submitted.	प्रस्तावित वनभूमि एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित स्थल के टोपोशीट की मूल प्रति संलग्न है। (संलग्नक–2)
1.(c)	Proposed CA area shows good vegetation therefore site suitability for compensatory afforestation needs a relook.	**अलीगढ़ वन प्रभागः–** प्रस्तावित स्थल का प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दि0 05.09.2018 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित स्थल पर छोटे छोटे पैचों में वनीकरण कार्य कराया जा सकता है। चूंकि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित 1.319 है0 पर मात्र 412 पौधों का रोपण किया जाना है, जिनकी सुरक्षा, सर्वधन, सिंचाई व्यवस्था आदि अलग से किया जा पाना सम्भव नहीं है। अतः प्रस्तावित स्थल पर 412 पौधों का रोपण खाली स्थानों पर किया जायेगा, ताकि वृक्षारोपण की शत–प्रतिशत सफलता सुनिश्चित की जा सके। **हाथरस वन प्रभागः–** क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित स्थल अवनत उसर वनभूमि है, जो क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त है।
2	Details of employment generated in E of part I is not consistent with details provided in short narrative of the project.	प्रस्ताव के भाग–1 के E में आवश्यक सुधार करके पूर्ण प्रस्ताव अपलोड कर दिया गया है। जिसकी ऑनलाइन फार्म–ए की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है।

Received
(पावरग्रिड अलीगढ़)

3	Land schedule shall be revised keeping perpendicular distance as approved RoW which is 67 mts in this case.	चूंकि निर्माणाधीन 765 के0वी0 उरई–अलीगढ़ पारेषण लाइन की ROW (चौड़ाई) 67 मी0 है तथा प्रस्ताव में जिस मार्ग अथवा नहर को पारेषण लाइन perpendicularly क्रास कर रही है, उस स्थिति में लैण्ड सेड्यूलिंग 67 मी0 लिया गया है, परंतु उक्त पारेषण लाइन की क्रासिंग जिस किसी भी प्रस्तावित मार्ग अथवा नहर को perpendicularly क्रास नहीं करने की स्थिति में विभिन्न angles पर क्रास कर रही है, उस स्थिति में भी land scheduling 67 मी0 की लंबवत् दूरी के आधार पर किया गया है, परंतु इस स्थिति में sinθ (crossing angle) के 90° degree से कम होने की स्थिति में sinθ का मान कम होगा तथा प्रभावित होने वाली संरक्षित वनभूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि होना स्वाभाविकर है और उसी के अनुसार उन सभी क्रासिंग की land scheduling की गई है, जिसकी पैमाइश सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। सभी land scheduling 67 m ROW को मानकर ही की गयी है।
4	As per part II of the proposal there exists violation of FCA 1980, a self contained duly providing details of violation, causes, extent etc need submission from the concerned DFO along with details of action initiated.	**अलीगढ़ वन प्रभाग:–** वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ के स्थाई आदेश संख्या–प–35/11–2 दिनांक 03.05.2006 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के मामलों में दी गई व्यवस्था के अनुसार 04 बिन्दुओं की सूचना, प्रस्ताव के साथ संलग्न की गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 द्वारा Penalty की गणना दिये गये निर्देशों के अनुसार, गणना संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–3)
5	Site inspection report of DFO Hathras does not indicate legal status of forest land.	प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। (संलग्नक–4)

भवदीय,

(मुकेश शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस

पत्रांक 1383/14–1 दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ।
2. उप महाप्रबन्धक (लाईन निर्माण), पावर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0, उत्तरी क्षेत्र–3, फ्लैट नं0–304, ब्लाक–डी, ग्रीनपार्क टाउनशिप, एटा बाईपास रोड, पोस्ट–क्वार्सी, जनपद–अलीगढ़।

(मुकेश शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस